# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

**अपील संख्या – 1015/2011/जोधपुर.**

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स गिरीराज स्टील्स,
5, लाईट इण्डस्ट्रियल एरिया, जोधपुर. .....प्रत्यर्थी.

**एकलपीठ**
**श्री मनोहर पुरी, सदस्य**

**उपस्थित : :**

श्री डी. पी. ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री आर. वी. सोनी, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

**दिनांक : 20/03/2015**

## निर्णय

1. यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 158/आरवेट/जेयूसी/09–10 में पारित किये गये आदेश दिनांक 25.11.2010 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 75(8) के तहत पारित किये गये आदेश दिनाक 23.01.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 23.01.2010 को किये जाने पर लेखा–पुस्तकों में घोषित स्टॉक के अनुसार 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल **'एसबेसटोस शीट्स'** रूपये 2,35,970/– का पाया गया, जबकि भौतिक सत्यापन पर रूपये 5,68,760/– का माल पाया गया। इस सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने पर प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण का फैसला उसी दिन करने का निवेदन करते हुए, शास्ति जमा कराने की स्वीकारोक्ति दी गयी। इस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करापवंचन की मंशा से माल का क्रय/विक्रय किया जाना मानते हुए वेट अधिनियम की धारा 75(8) के तहत शास्ति रूपये 99,837/– का आरोपण आदेश दिनांक 23.01.2010 से किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 25.11.2010 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

**लगातार.....2**

3. अपीलार्थी के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि सर्वेक्षण प्रत्यर्थी व्यवहारी एवं दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में किया गया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के अनुसार माल की कीमत का आंकलन किया गया है। सर्वेक्षण में मौके पर रूपये 3,32,790/– का माल अधिक पाया गया। इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी व्यवहारी को जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में, प्रत्यर्थी द्वारा दिये गये समय का उपभोग नहीं करते हुए उसी दिन प्रकरण का निस्तारण किये जाने एवं शास्ति जमा कराने की स्वीकारोक्ति प्रदान की गयी है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी के स्तर पर प्रकरण में किसी प्रकार की अग्रिम जांच की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का समुचित अवलोकन किये बिना प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है, उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा कारण बताओ नोटिस की पालना में प्रस्तुत किये गये जवाब में यह स्पष्ट रूप से जाहिर किया गया था कि प्रत्यर्थी, मैसर्स हैदराबाद इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जयपुर का अधिकृत स्टॉकिस्ट है एवं मैसर्स हैदराबाद इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा क्रेता व्यवहारी को सीधे माल की डिलीवरी दे दी गयी तथा बिल प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बना दिये जाने से एवं मैसर्स हैदराबाद से बिल प्राप्त नहीं होने से लेखा–पुस्तकों में जमाखर्च करने से रह गया। अतः मौके पर माल अधिक पाया गया। प्रत्यर्थी की कोई करापवंचन की मंशा नहीं थी। अपीलीय अधिकारी के समक्ष अधिक पाये गये माल से सम्बन्धित इन्वॉयस भी प्रस्तुत कर दिये गये। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों का समुचित अवलोकन करने के उपरान्त कर निर्धारण आदेश अपास्त किया गया है। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त **(2004) 08 टैक्स अपडेट 18 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, वृत–द्वितीय, जयपुर बनाम मैसर्स के.एम.पोलीमर प्रा0 लि0** का हवाला देते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अवलोकन किया गया।

**लगातार.....3**

6. कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर जोधपुर के निर्देशानुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 23.01.2010 को किया गया। सर्वेक्षण की कार्यवाही स्वयं प्रत्यर्थी व्यवहारी एवं दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में नियम 50 की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई तथा व्यवहारी की उपस्थिति/सहमति से तैयार की गई अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार मौके पर पाये गये अधिक माल के सम्बन्ध में व्यवहारी को नोटिस जारी किया जाकर सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। इस पर व्यवहारी द्वारा उक्त नोटिस से उपलब्ध करवाये गये समय का उपभोग किये बिना, प्रकरण का फैसला उसी दिन करने तथा नियमानुसार शास्ति जमा करवाने का लिखित अनुरोध किया गया। इस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त प्रार्थना—पत्र के आधार पर प्रकरण का फैसला उसी दिन करते हुए अधिक पाये गये माल पर धारा 75(8) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया है।

7. प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अधिक पाये गये माल के सम्बन्ध में यह कथन किया गया है कि उनके विक्रेता व्यवहारी मैसर्स हैदराबाद इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जयपुर द्वारा माल सीधे क्रेता व्यवहारी को भिजवा दिया गया है, जिसका बिल प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि व्यवहारी द्वारा माल का बिल बना दिया गया, ऐसी स्थिति में मौके पर अधिक माल पाया गया है। यदि विक्रेता व्यवहारी मैसर्स हैदराबाद इण्डस्ट्रीज द्वारा माल सीधे ही क्रेता को भिजवा दिया गया है तो प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर अधिक माल किस प्रकार पाया गया ? यह प्रत्यर्थी व्यवहारी के जवाब से स्पष्ट नहीं होता है। मौके पर रूपये 3,32,790/— का माल अधिक पाया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 01.02.2010 तक का समय दिया गया था, जबकि व्यवहारी द्वारा उक्त समय का उपभोग किये बिना उसी दिन प्रकरण का फैसला करने का निवेदन किया गया, व्यवहारी द्वारा किन परिस्थितियों में उक्त उपलब्ध करवाये गये समय का उपभोग नहीं किया गया, प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड से स्पष्ट नहीं होता है। इसके विपरीत व्यवहारी द्वारा यह कथन किया गया है कि माल सीधे ही क्रेता व्यवहारी को पहुंचा दिया गया है। उक्त कथन की पुष्टि व्यवहारी द्वारा अपीलीय स्तर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों से भी होती है कि माल राजावास, जयपुर (विक्रेता) से भोपालगढ़ (क्रेता) भेजा गया है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर अधिक माल पाया जाना प्रथम दृष्टया प्रत्यर्थी की करापवंचन की मंशा को

लगातार.....4

स्थापित करता है। यदि व्यवहारी को विवादित माल से सम्बन्धित दस्तावेज 1–2 दिन में प्राप्त होने की आशा थी तो उनके द्वारा उक्त समय का उपभोग करते हुए, समुचित दस्तावेजों के साथ अपना जवाब प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, जबकि व्यवहारी द्वारा ऐसा न किया जाकर उसी दिन प्रकरण का फैसला चाहा गया तथा अपीलीय स्तर पर माल के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, जो स्पष्ट रूप से व्यवहारी की बाद की सोच का परिणाम है।

8. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **मैसर्स राजेन्द्र इलेक्ट्रिकल्स बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–प्रथम, जालौर में पारित निर्णय दिनांक 12.8.2009 [(2009) 25 Tax Update 20]** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत लिखित स्वीकारोक्ति के पश्चात प्रकरण में किसी अग्रिम जांच की आवश्यकता नहीं रहती है तथा इस आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानों के तहत शास्ति आरोपित किया जाना उचित है।

9. विद्वान अभिभाषक द्वारा उद्धरित माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त **(2004) 08 टैक्स अपडेट 18 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, वृत–द्वितीय, जयपुर बनाम मैसर्स के.एम.पोलीमर प्रा0 लिमिटेड** से सम्बन्धित प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 77(8) से सम्बन्धित शास्ति आरोपण किये जाने से पूर्व धारा 77(8) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था एवं ना ही व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया था, जबकि प्रस्तुत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी को वेट अधिनियम की धारा 75(8) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा सुनवाई का समुचित अवसर भी प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त के तथ्य वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण उक्त निर्णय प्रत्यर्थी व्यवहारी को कोई सहायता प्रदान नहीं करता है।

10. अतएव उक्त विवेचन एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय **(2009) 25 टैक्स अपडेट 20** में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की लिखित स्वीकारोक्ति के आधार पर वेट अधिनियम की धारा 75(8) के तहत पारित किया गया शास्ति आरोपण का आदेश दिनांक 23.01.2010 पूर्णतया विधिसम्मत एवं न्यायोचित है। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों का समुचित अवलोकन किये बिना प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की गयी है। अतः अपीलीय आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

**लगातार.....5**

11. परिणामस्वरूप राजस्व की अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश दिनांक 25.11.2010 अपास्त किया जाता है तथा कर निर्धारण अधिकारी का आदेश दिनांक 23.01.2010 यथावत बहाल किया जाता है।

12. निर्णय सुनाया गया।

10/03/2015

( मनोहर पुरी )
सदस्य